Rail Accidents in Maharashtra and Bihar

1926. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether in separate rail accidents at Parli-Kacherguda in Beed district, Maharashtra and another in Bihar, a large number of persons were killed and many injured in April, 1998;

(b) if so, the details thereof stating the number of persons killed in each accident and those injured and the amount of the compensation given to the families of those killed/injured;

(c) the outcome of the inquiry made by Government into the circumstances leading to the rail accidents; and

(d) the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) 24 persons lost their lives and 14 sustained injury (including 8 grievous) when train No. 7663 Manmad—Kacheguda Express was hit in the rear by 15 wagons of a goods train which had rolled down at Parli Vaijnath station on Secunderabad Division of S.C. Railways on 24-4-1998. In the second accident, which took place on 28-4-1998, 12 persons lost their lives and 41 were injured (including 17 grievous) when 9 coaches of 3231 UP Howrah—Danapur Express derailed between Fatuha and Bankaghat stations of Eastern Railway.

Compensation will be paid after the claims are decided by the Railway Claims Tribunal. Ex-gratia relief at the rate of Rs. 25,000/- each to the next of kin of the identified dead, Rs. 5,000/- each to the greivously injured persons and Rs. 500/- each to the persons with minor injuries, has been arranged.

(c) and (d) As per preliminary reports, the collision on 24-4-1998 was due to failure of railway staff while the derailment on 28-4-1998 was due to removal of fish plates by persons whose identity could not be established. Action will be taken on receipt of Final Reports from the Commissioners of Railway Safety.

रेलगाड़ियों के शौचालयों में पानी न होना

1927. चौधरी हरमोहन सिंह यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार की ओर जाने वाली प्रायः सभी रेलगाड़ियों में, जैसे शहीद एक्सप्रेस, अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, अवध-असम एक्सप्रेस आदि के शौचालयों में पानी नहीं रहता और शौचालय टूटी-फूटी अवस्था में रहते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) बिहार की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों में प्रारंभिक स्टेशनों तथा मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर पूरा पानी भरा जाता है। बहरहाल, कतिपय क्षेत्रों में टायलट फिटिंगों की तोड़फोड़ और उनकी चोरी की समस्या है जिसकी वजह से यात्रियों के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है।

रेलों ने गाड़ियों में यात्रियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(I) पानी भरने वाले नामित स्टेशनों पर पर्याप्त दबाव पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(II) सवारी डिब्बों में पानी भरने की सुविधाओं का अधिकारित स्तर पर प्रायः निरीक्षण करना।

(III) पानी से संबंधित शिकायतों पर "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" बूथों के जरिए तुरंत ध्यान दिया जाता है।

(IV) भेद्य क्षेत्रों में चोरी तथा तोड़फोड़ की घटनाओं को कम करने के लिए रे० सु० वि० ब० तथा रु० रे० पु० की व्यवस्था करके गाड़ियों का मार्ग रक्षण।

इसके अलावा, बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया है।